उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक– 6547 /चयन/164–2021/2021–22 दिनांक 01 जनवरी, 2022

विज्ञप्ति

अवमानना याचिका संख्या–3069/2021 मनीष कुमार त्रिपाठी बनाम कीर्ति गौतम, सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड, प्रयागराज में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2021 एवं 03.12.2021 के अनुपालन में विज्ञापन संख्या–3/2013 संस्था प्रधान के विज्ञापित पदों के सापेक्ष पूरी चयन प्रक्रिया दिनांक 31.01.2022 तक पूर्ण करने की कार्यवाही गतिमान है।

2. याचिका संख्या–10609/2021 डॉ0 दिलीप कुमार अवस्थी बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.2021 के अनुपालन में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अभ्यर्थियों एवं ज्येष्ठतम अध्यापकों को संस्था प्रधान पद के साक्षात्कार में नही बुलाये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया हैं। अतएव दिनांक 31.01.2022 तक 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके/कर रहे अभ्यर्थियों को चयन/साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा।

3. विज्ञापित संस्थाओं में दो ज्येष्ठतम अध्यापकों से सम्बन्धित विवरण/सूचना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों से आनलाइन प्राप्त की जायेगी। दिनांक 31.01.2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सत्रलाभ पर कार्यरत ज्येष्ठतम अध्यापकों को साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। अवशेष सूची में से दो ज्येष्ठतम् अध्यापक साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे।

4. प्रश्नगत विज्ञापन में संस्था प्रधान पदों के सापेक्ष आफलाइन प्राप्त आवेदन–पत्रों को बोर्ड द्वारा आनलाइन किया गया है तथा उसमें अंकित सूचनाओं का सत्यापन सम्बन्धित अभ्यर्थियों से कराये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। आफलाइन आवेदनों के आनलाइन संस्करण के सत्यापन हेतु चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत अनुदेश, यूजर मैनुअल/प्रक्रिया तथा पोर्टल का लिंक प्रदर्शित है।

5. सम्बन्धित अभ्यर्थी कृपया अनुदेशो का भली भांति अध्ययन कर यूजर मैनुअल में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुये अपने आवेदन की सूचनाओं की सत्यता का सत्यापन कर लें। किसी त्रुटि/भिन्नता की दशा में उसे साक्ष्य सहित अद्यतन करते हुये आवेदित मण्डल के विज्ञापित संस्थाओं में से यथाआवश्यकता नियमानुसार 03 संस्थाओं की अधिमानता का विकल्प भी पोर्टल पर भरें। इस हेतु पोर्टल दिनांक **08.01.2022** तक ही क्रियाशील रहेगा।

6. सूचनायें अद्यतन करने एवं अधिमानता विकल्प भरने का मात्र 01 अवसर उपलब्ध रहेगा। अतएव कोई भी प्रविष्टि सावधानी से करें। नियत तिथि तक अद्यतन किये गये डाटा को ही अन्तिम मानते हुए अग्रिम कार्यवाही चयनबोर्ड द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नही होगा।

01-01-2022

सचिव